न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 66/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 7.6.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. विद्याबाई पुत्री किशनलाल पत्नी त्रिलोकचंद जाति बैरागी निवासी मिर्जापुर तहसील अन्त जिला बांरा–राज0।
... अपीलार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र बजरंगदास जाति बैरागी निवासी ग्राम कामठा तहसील किशनगंज जिला बांरा–राज0
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रामप्रसाद नागर अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 10.4.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू अभि.) किशनगज जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 47/2014 बउनवान रमेश पुत्र बजरंगदास जाति बैरागी निवासी कामठा बनाम जांच वसीयत मे पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रमेश पुत्र बजरंगदास जाति बैरागी निवासी कामठा ने प्रार्थना पत्र के साथ अनरजिस्टर्ड (नोटेरी) वसीयतनामा पेश कर वसीयतकर्ता मृतक किशनलाल पुत्र बजरंगदास बैरागी निवासी कामठा के हिस्से मे दर्ज भूमि रकबा 25.09 बीघा मे हिस्सा 1/6 को अपने नाम दर्ज करने का पेश किया गया। तहसीलदार किशनगंज ने वसीयतकर्ता मृतक किशनलाल का हिस्सा 1/6 रमेश पुत्र बजरंगदास जाति बैरागी के नाम दर्ज किये जाने का दिनांक 15.2.2016 को निर्णय पारित किया। तहसीलदार किशनगजं के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटा विद्याबाई द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की कि वसीयतनामा दिनांक 3.4.2007 विधि विरूद्ध एवं बनावटी व फर्जी है। वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो प्रभावशून्य है। किशनलाल को उक्त आराजी बजरंगदास से प्राप्त हुई है जो पुश्तेनी आराजी है तथा पुश्तैनी आराजी की वसीयत करने का अधिकार किशनलाल को नही है। अटेस्टिंग गवाह द्वारा भी आराजी को स्वर्जित आराजी नही बताया है इस कारण पुश्तैनी आराजी का वैध उत्तराधिकारी अपीलांटा है। तहसीलदार किशनगंज ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना पटवारी हल्का द्वारा रेस्पो0 से मिलकर प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम 22.4.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर होने पर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 15.2.2016 निरस्त किया जावे तथा मृतक किशनलाल पुत्र बजरंगदास का फोती इन्तकाल पुत्री/अपीलांटा के नाम तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि किशनलाल द्वारा विवादित आराजी की वसीयत निष्पादित नही की। तथाकथित वसीयत फर्जी एवं बनावटी है। विवादित आराजी स्वअर्जित आराजी नही है बल्कि पुश्तेनी आराजी है जो किशनलाल को बजरंगलाल से विरासत मे प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति मे

पुश्तैनी आराजी की वसीयत नही की जा सकती है। तहसीलदार किशनगंज ने उक्त तथ्यो पर गौर नही किया। पटवारी द्वारा रेस्पो0 से मिलकर तैयार की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अपीलांटा किशनलाल की पुत्री होने से विवादित आराजी मे किशनलाल के हिस्से की वैध उत्तराधिकारी/वारिस है। अतः जेर अपील निर्णय विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर मृतक किशनलाल की विरासत का नामान्तरकरण अपीलांटा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस/लिखित बहस मे प्रकट किया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही है अतः व्यथित पक्षकार नही होने से तहसीलदार द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 की अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का पेश कर अपील पेश करने की इजाजत लेनी चाहिये थी जो उसके द्वारा पूर्व मे नही ली गई तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बाद मे पेश किया गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे यह भी प्रकट किया कि तहसीलदार के आदेश की प्रथम अपील का श्रृवणाधिकार न्यायालय जिला कलक्टर तथा द्वितीय अपील का श्रृवणाधिकार माननीय न्यायालय को है ऐसी स्थिति मे प्रथम अपील जिला कलक्टर के यहां पेश की जानी चाहिये थी अपीलांटा द्वारा प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर त्रुटि की है जो क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारिज योग्य है। बहस मे आगे वर्णित किया कि वसीयत दिनांक 3.4.2007 की पूर्ण जांच कर लाऔलाद किशनलाल के फौत होने की प्रमाणिकता सिद्ध होने पर उसके खाते की भूमि का इंतकाल सगे भ्राता रमेश के नाम खोलने का तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील मियाद बाहर होने तथा पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपील प्रस्तुत करने व क्षैत्राधिकार के अभाव मे अपील मेन्टेनऐबल नही होने से खारिज करने का अनुरोध करते हुये अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे 2010 पेज–1 आरआरडी 2010 पेज 389 तथा डीएनजे 2018 (1) राज0 पेज 11 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं दिनांक 16.2.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे जेरअपील निर्णय दिनांक 15.2.2016 की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.4.2017 को बताने पर होना वर्णित किया है तथा इस संबध मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है रेस्पो0 ने बहस मे यद्यपि अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का तर्क प्रस्तुत किया किन्तु शपथ मे उल्लेखित तथ्यो के खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के यहां प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांटा पक्षकार नही रही है ऐसी स्थिति मे व्यथित पक्षकार होने की स्थिति मे अपील, प्रार्थना पत्र धारा 96 बावत अपील पेश करने की अनुमति के साथ पेश कर अनुमति ली जानी चाहिये जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी दिनांक 16.2.2018 को पेश किया गया। रेस्पो0 की ओर से दिनांक 9.1.2018 को उक्त अपील नोन कन्टेस्टेड निर्णय के विरूद्ध पेश किये जाने से मेन्टेनेऐबल नही होने से खारिज करने का पेश किया तथा अपीलांटा की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का दि0 28.2.2018 को जवाब प्रस्तुत कर उक्त अपील बिना अनुमति प्रस्तुत होने से मेनटेनऐबल नही होने से खारिज करना वर्णित किया गया। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांटा न्यायालय तहसीलदार किशनगज के यहां पक्षकार नही रही है प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांटा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकरण मे प्रथम दृष्टया सारभूत व कानूनी तथ्य निहित होना प्रकट होने से अपीलांटा व्यथित पक्षकार होना प्रकट होता है एंव जेरअपील निर्णय अपीलांटा की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर पूर्वानुमति नही ली जाने मात्र से अपील को इस स्टेज पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रकट नही होता है जबकि प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांटा द्वारा दिनांक 16.2.2018 को प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की इजाजत पेश कर दिया गया हो। अतः उक्त तथ्यो के आलोक मे रेस्पो0 की ओर से दिनांक 9.1.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपीलांर्थीया द्वारा दिनांक 16.2.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की इजाजत व प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। प्रकरण मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सं0 2021–24 एवं सम्वत 2070–73 ग्राम कामठा तहसील किशनगंज के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार किशनगंज द्वारा वसीयतनामा, रिपोर्ट पटवारी एवं गवाहो के बयान आदि का अवलोकन कर वसीयत सही व अन्तिम होना पाई जाने पर वसीयतकर्ता मृतक किशनलाल के नाम ग्राम कामठा के शामलाती खाते मे दर्ज भूमि किता 7 रकबा 25.09 बीघा मे वसीयतकर्ता मृतक किशनलाल का हिस्सा 1/6 रमेश पुत्र बजरंगलाल जाति बैरागी के नाम दर्ज किये जाने का दिनांक 15.2.2016 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय हल्का पटवारी की रिपोर्ट 25.7.2014 के परिपेक्ष्य मे वसीयतकर्ता मृतक किशनलाल कंवारा व लाऔलाद फोत होने तथा रमेश मृतक वसीयतकर्ता का सगा भाई होने के आधार पर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित आराजी मृतक किशनलाल की स्वअर्जित भूमि है अथवा पैतृक भूमि है आया मृतक किशनलाल को विधिक रूप से उक्त वर्णित भूमि की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त था अथवा नही। तहसीलदार किशनगंज की पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख/साक्ष्य सबूत उपलब्ध नही है जिससे वसीयतकर्ता मृतक किशनलाल कंवारा व लाऔलाद फौत हुआ हो इस तथ्य को केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट 25.7.2014 मे वर्णित किया गया है जबकि इस संबध मे अपीलांटा द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण मे सरंपच ग्राम पंचायत कांकडदा द्वारा दिनांक 12.3.2018 को जारी वारिस प्रमाण पत्र से किश्नलाल बैरागी आ0 बजरंगदास बेरागी निवासी कामठा की विद्याबाई ही एक मात्र वारिस होना वर्णित किया गया है। जो तथ्यो मे परस्पर विरोधाभाष होना प्रकट करता है। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार किशनगंज ने मृतक किश्नलाल के वारिसान की समुचित जांच नही की तथा ना ही उनको सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 15.2.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण उक्त विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार किशनगंज को रिमांड किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 47/2014 उनवान रमेश पुत्र बजरंगदास जाति बैरागी निवासी कामठा बनाम जांच वसीयत मे पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार किशनगंज जिला बांरा को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 10.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा